(15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 195 / 2020 दायर दिनांक–14–10–2020

1 बहादुर पुत्र हेमाराम उम्र 68 वर्ष जाति मेघवाल निवासी भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
– वादीगण

बनाम

1. फतुराम उम्र 46 वर्ष पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
2. सुरेन्द्र कुमार उम्र 42 वर्ष पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
3. विनोद कुमार उम्र 32 वर्ष पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
4. महावीर प्रसाद उम्र 55 वर्ष पुत्र रामेश्वर जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
5. मलाराम उम्र 50 वर्ष पुत्र रामेश्वर जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
6. शेरूराम उम्र 35 वर्ष पुत्र रामेश्वर जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
7. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अशोक कुमार जांगीड़
वकील प्रति. नं. :– श्री पंकज कुमार जांगीड़

दावा बाबत इश्तकरार हक व रिकार्ड दुरूस्ती
अ.धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 भू राजस्व अधिनियम

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:15 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक– 25–04–2022

वाद वादी ने एक वाद इस कदर पेश किया कि [illegible] पटवार हल्का टौक छिलरी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर [illegible] रकबा [illegible] हैक्टेयर [illegible] है, जिसके पुराने खसरा नम्बर 281 रकबा 5 बीघा 13 विश्वा है। उक्त भूमि स्वर्गीय हेमाराम की खातेदा[illegible]श्त की भूमि रही है, जिसको [illegible] में वादग्रसत भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। नकल जमाबन्दी, नकल मिलान क्षेत्रफल वाद–पत्र के साथ प्रस्तुत है।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय हेमाराम की खातेदारी की रही है। स्वर्गीय हेमाराम की वंशावली निम्नानुसार है: –

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)
नवलगढ़

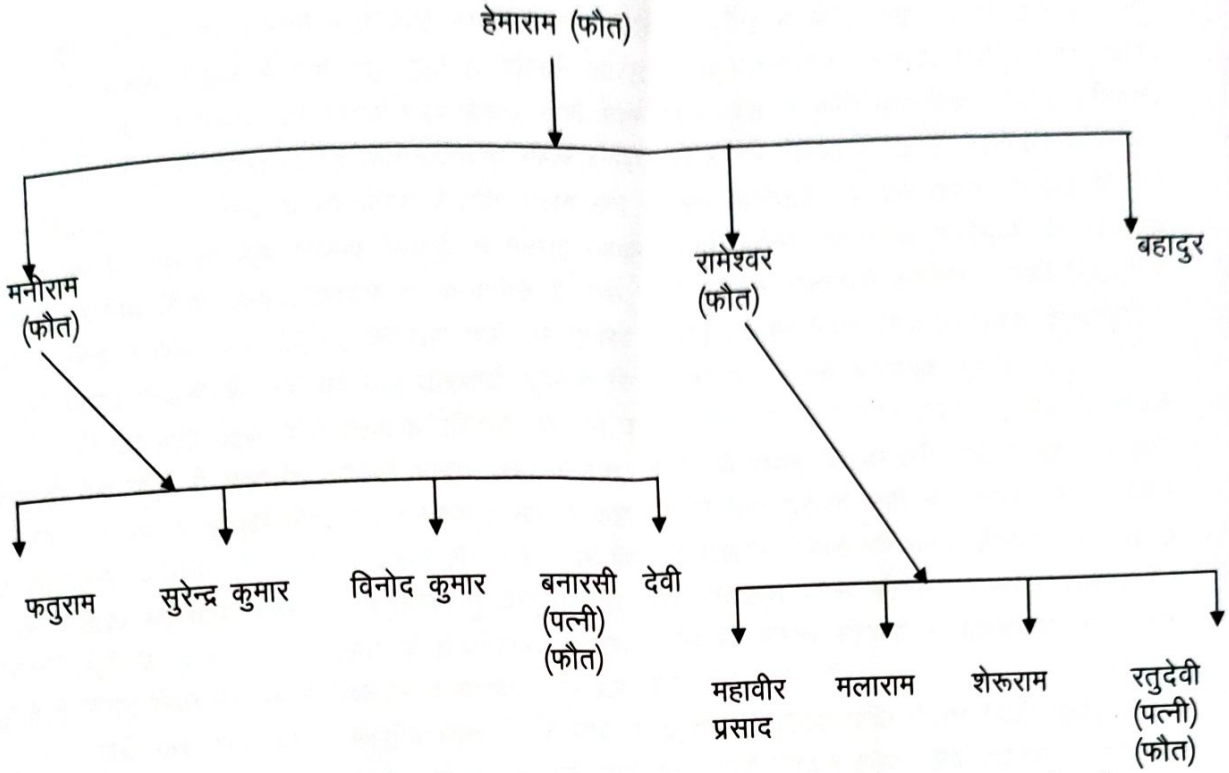

इस प्रकार स्वर्गीय हेमाराम के तीन पुत्र संतान रामेश्वर, मनीराम, बहादुर पैदा हुये, जिसमे मनीराम व रामेश्वर का स्वर्गवास हो चुका है, वादी बहादुर मौजूद है।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से रामेश्वर पुत्र हेमा के नाम से दर्ज हो गया जबकि उक्त हेमाराम के तीन पुत्र रामेश्वर, मनीराम व बहादुर पैदा हुये। उक्त भूमि तीनो भाईयो के खातेदारी काश्त की भूमि रही है, जिसका राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने हेतु गत सैटलमेंट के दौरान रामेश्वर के आवेदन–पत्र पर सरपंच, ग्राम पंचायत टौक छिलरी व तत्कालीन पटवारी हल्का व हल्का गिरदावर की जांच रिपोर्ट के आधार पर सहायक भू अभिलेख अधिकारी के समक्ष पेश होने पर दिनांक 14.03.1980 को वादी का नाम बहादुर के स्थान बनवारी दर्ज कर दिया जबकि उक्त बहादुर बचपन का नाम बनवारी था और गांव में वादी को बहादुर व बनावारी दोनो नामो से ही जाना जाता रहा है, इस कारण वादी का राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से बहादुर के स्थान पर बनवारी दर्ज हो गया, जबकि वादी का सही नाम बहादुर है और बहादुर के नाम के ही वादी के तमाम दस्तावेज राशनकार्ड, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान–पत्र, स्वास्थ्य बीमा कार्ड बने हुये है और बहादुर के नाम का ही वादी उपयोग उपभोग करता आ रहा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से बहादुर के स्थान पर बनवारी दर्ज होने के कारण वादी के हक अधिकारों पर कुठाराधात हो रहा है। वादी अपनी भूमि पर कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर पर रहा है और न ही अपनी भूमि का विकास कर पा रहा है। ऐसी स्थित में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में बनवारी के स्थान पर बहादुर दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। वादी को वादग्रसत भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 1.43 हैक्टर वाके ग्राम सुरजनपुरा में बनवारी पुत्र हेमाराम हिस्सा 1/3 के स्थान पर बहादुर पुत्र हेमाराम हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल सा देह खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में वादी के लिये यह दावा बाबत घोषनार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती का पेश किया जाना आवश्यक हुआ।

उपरोक्त वर्णित वादग्रसत भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 1.43 हैक्टर वाके ग्राम सुरजनपुरा में वादी का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 का हिस्सा 1/3 है तथा इसी अनुसार उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 है, लेकिन प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के पिता मनीराम व प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 के पिता रामेश्वर का

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:15 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

हमाराम क तीन पुत्र संतान रामेश्वर, मनीराम, बहादुर पैदा हुये,

स्वर्गवास हो चुका है, परन्तु अभी तक कोई नामान्तकरण उपरोक्त वर्णित मृतक मनीराम व रामेश्वर का कोई नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुआ है, जिनके वारिसान को प्रतिवादीगण बनाया गया है। इस प्रकार वादग्रसत भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 1.43 हैक्टर वाके ग्राम सुरजनपुरा में वादी को हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 को हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है और गलत रूप से मृत खातेदार का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहे है, जिनका नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर उनके स्थान पर उनके वारिसान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जना आवश्यक व न्यायोचित है तथा उक्त घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 का नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जना आवश्यक व न्यायोचित है। ऐसी हालत में वादी के लिये यह दाव घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

बिनाय दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण जब वादी ने बैक से ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक से सम्पर्क किया तो बैक वालो ने कहा कि आपका आपके खाते मे नाम बहादुर के स्थान पर बनवारी दर्ज है, इस पर वादी ने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने कहा कि मै नाम दुरूस्त नही कर सकता, इसके लिये आपको सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी होगी। इस पर वादी ने राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 17.09.2020 व 06.10.2020 को प्राप्त करने पर बमुकाम सुरजनपुरा पैदा हुआ, अदालत बाला को हक समायत हासिल है। विवादित भूमि व पक्षकारान न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे स्थित होने के कारण श्रीमान् न्यायालय को उक्त वाद सुनने व निर्णय करने का पूर्ण क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

वादी द्वारा वाद पत्र में अनुतोष चाहा है कि वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 1.43 हैक्टर वाके ग्राम सुरजनपुरा पटवार हल्का टौक छिलरी में वादी का नाम बनवारी के स्थान पर बहादुर दर्ज करते हुये हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 को हिस्सा 1/3 का व प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा गलत रूप से दर्ज मृतक खातेदार मनीराम व रामेश्वर का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त यिा जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जावे। अन्य सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो, वादी के हक में पडती हो, वही भी दिलाई जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गथा तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 की ओर वकील श्री पकंज कुमार जांगिड़ उपस्थित होने अपना वलकालत नामा एवं इकबालिया जवाब दावा पेश किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर इसबालिया जवाब दावा पेश कर वाद–पत्र में चाही गई रिलीफ को स्वीकार करने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही गई।

शहादत वादी में वादी बहादुर पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल निवासी भोजनगर व गवाहान् में फतूराम पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी भोजनगर व महावीर प्रसाद पुत्र रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी भोजनगर तहसील नवलगढ़ उपस्थित होने मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात् प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985, प्रदर्श–3 जमाबंदी सम्वत् 2021–2024, प्रदर्श–4 जमाबंदी सम्वत् 2025–2028, प्रदर्श–5 जमाबंदी सम्वत् 2029–2032, प्रदर्श–6 जमाबंदी सम्वत् 2033–2036, प्रदर्श–7 जमाबंदी सम्वत् 2044–2047, प्रदर्श–7 जमाबंदी सम्वत् 2046–2049, प्रदर्श–9 जमाबंदी सम्वत् 2050–2053, प्रदर्श–10 जमाबंदी सम्वत् 2054–2057, प्रदर्श–11 जमाबंदी सम्वत् 2058–2061, प्रदर्श–12 जमाबंदी सम्वत् 2062–2065 आधार वर्ष 2005, प्रदर्श–13 नामान्तकरण, प्रदर्श–14 सैटलमेंट का विभाजन (खसरा परिशोधन पत्र) आदि दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण की ओर से इकबालिया जवाब [illegible] स्वीकार करने पर शहादत प्रतिवादी नही पेश हुई है।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी वकील ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सुरजनपुरा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर नया 257 रकबा 1.43 हैक्टर स्थित है, जिसके पुराने खसरा नम्बर 281 रकबा 5 बीघा 13 विश्वा है। उक्त भूमि स्वर्गीय हेमाराम की खातेदारी काश्त की भूमि रही है। स्वर्गीय हेमाराम के तीन पुत्र संतान रामेश्वर, मनीराम, बहादुर पैदा

ए.सी.ई.एम. (क्र.द्वै.)
नवलगढ़

हुये, जिसमे मनीराम व रामेश्वर का स्वर्गवास हो चुका है, वादी बहादुर मौजूद है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का गलती से रामेश्वर पुत्र हेमा के नाम से दर्ज हो गया जबकि उक्त हेमाराम के तीन पुत्र रामेश्वर, मनीराम व बहादुर पैदा हुये। उक्त भूमि तीनो भाईयो के खातेदारी काश्त की भूमि रही है, जिसका राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने हेतु गत सैटलमेंट के दौरान रामेश्वर के आवेदन–पत्र पर सरपंच, ग्राम पंचायत टौक छिलरी व तत्कालीन पटवारी हल्का व हल्का गिरदावर की जांच रिपोर्ट के आधार पर सहायक भू अभिलेख अधिकारी के समक्ष पेश होने पर दिनांक 14.03.1980 को वादी का नाम बहादुर के स्थान बनवारी दर्ज कर दिया जबकि उक्त बहादुर बचपन का नाम बनवारी था और गांव में वादी को बहादुर व बनावारी दोनो नामो से ही जाना जाता रहा है, इस कारण वादी का राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से बहादुर के स्थान पर बनवारी दर्ज हो गया, जबकि वादी का सही नाम बहादुर है और बहादुर के नाम के ही वादी के तमाम दस्तावेज राशनकार्ड, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान–पत्र, स्वास्थ्य बीमा कार्ड बने हुये है और बहादुर के नाम का ही वादी उपयोग उपभोग करता आ रहा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से बहादुर के स्थान पर बनवारी दर्ज होने के कारण वादी के हक अधिकारों पर कुठाराधात हो रहा है। वादी अपनी भूमि पर कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर पर रहा है और न ही अपनी भूमि का विकास कर पा रहा है। ऐसी स्थित में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में बनवारी के स्थान पर बहादुर दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादी को वादग्रसत भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 1.43 हैक्टर वाके ग्राम सुरजनपुरा में बनवारी पुत्र हेमाराम हिस्सा 1/3 के स्थान पर बहादुर पुत्र हेमाराम हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वादग्रसत भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 1.43 हैक्टर वाके ग्राम सुरजनपुरा में वादी का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 का हिस्सा 1/3 है तथा इसी अनुसार उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 है, लेकिन प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के पिता मनीराम व प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 के पिता रामेश्वर का स्वर्गवास हो चुका है, परन्तु अभी तक कोई नामान्तकरण उपरोक्त वर्णित मृतक मनीराम व रामेश्वर का कोई नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुआ है, जिनके वारिसान को प्रतिवादीगण बनाया गया है। इस प्रकार वादग्रसत भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 1.43 हैक्टर वाके ग्राम सुरजनपुरा में वादी को हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 को हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है और गलत रूप से मृत खातेदार का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहे है, जिनका नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर उनके स्थान पर उनके वारिसान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जना आवश्यक व न्यायोचित है तथा उक्त घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 का नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जना आवश्यक व न्यायोचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील वादी का मनन किय गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है वादग्रस्त भूमि हेमाराम के खातेदारी की भूमि थी, जिसके तीन पुत्र संतान रामेश्वर, मनीराम, बहादुर पैदा हुये। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। मनीराम व रामेश्वर का स्वर्गवास हो चुका है, वादी बहादुर मौजूद है। वादग्रस्त भूमि केवल रामेश्वर पुत्र हेमा के नाम से दर्ज हो गया जबकि उक्त हेमाराम के तीन पुत्र रामेश्वर, मनीराम व बहादुर पैदा हुये। उक्त भूमि तीनो भाईयो के खातेदारी काश्त की भूमि रही है, जिसका राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने हेतु गत सैटलमेंट के दौरान रामेश्वर के आवेदन–पत्र पर सरपंच, ग्राम पंचायत टौक छिलरी व तत्कालीन पटवारी हल्का व हल्का गिरदावर की जांच रिपोर्ट के आधार पर सहायक भू अभिलेख अधिकारी के समक्ष पेश होने पर दिनांक 14.03.1980 को वादी का नाम बहादुर के स्थान बनवारी दर्ज कर दिया। इस प्रकार वादी का राजस्व रिकार्ड में बहादुर के स्थान पर बनवारी दर्ज हो गया, जबकि वादी का सही नाम बहादुर है जो बहादुर के नाम के ही वादी के तमाम दस्तावेज राशनकार्ड, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान–पत्र, स्वास्थ्य बीमा कार्ड बने हुये है, से साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:15 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (प्र.द्वि.)
स्वाधाय

ऐसी स्थिति में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में बनवारी के स्थान पर बहादुर दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया उचित है। वादी को वादग्रसत भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 1.43 हैक्टर वाके ग्राम सुरजनपुरा में बनवारी पुत्र हेमाराम हिस्सा 1/3 के स्थान पर बहादुर पुत्र हेमाराम हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि हेमाराम की खातेदारी की भूमि होकर पैतृक भूमि थी। उक्त हेमाराम के तीन पुत्र संतान रामेश्वर, मनीराम, बहादुर पैदा हुये जिसमें से रामेश्वर व मनीराम दोनो फोत हो चुकी है जिनके वाद–पत्र में वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 है। हेमाराम का फौत होने पर विवादग्रस्त भूमि केवल रामेश्वर के नाम दर्ज हो गई जिसमें हेमाराम के दो पुत्र बहादुर व मनीराम को बिना कारण वचित रख दिया। वादग्रसत भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 1.43 हैक्टर वाके ग्राम सुरजनपुरा में वादी का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 का हिस्सा 1/3 है तथा इसी अनुसार उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 है, लेकिन प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के पिता मनीराम व प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 के पिता रामेश्वर का स्वर्गवास हो चुका है, परन्तु अभी तक कोई नामान्तकरण उपरोक्त वर्णित मृतक मनीराम व रामेश्वर का कोई नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुआ है, जिनके वारिसान को प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 1.43 हैक्टर वाके ग्राम सुरजनपुरा में वादी को हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 को हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित न्यायोचित है। अतः वाद वादी पूर्ण रूप से साबित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम सुरजनपुरा की सरहद में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 1.43 हैक्टर में वादी का नाम बनवारी के स्थान पर बहादुर दुरूस्त कर 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 को हिस्सा 1/3 का व प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मृतक खातेदार मनीराम व रामेश्वर का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:15 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़ दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दावा बाबत इश्तकरार हक
व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा संं:– 195/2020 **(बहादुर बनाम फतूराम आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **25.04.2022** निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम सुरजनपुरा की सरहद में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 1.43 हैक्टर में वादी का नाम बनवारी के स्थान पर बहादुर दुरूस्त कर 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 को हिस्सा 1/3 का व प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मृतक खातेदार मनीराम व रामेश्वर का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे
जिन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **25.04.2022** को जारी की गई।

(दमयंती कंवर) आर.ए.एस. (फास्ट ट्रे.)
ए.सी.ई.एम. (फास्ट ट्रेक) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	06.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	16.00		0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:15 IST
Reason: SelfAttested